नए स्ट्रेन का मरीज अधिक लोगों को कर सकता है संक्रमित, इस बार पहले दौर से भी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत

तेजी से फैल सकता है कोविड का नया स्ट्रेन

कोरोना से जंग

आगरा | वरिष्ठ संवाददाता

ताजनगरी में कोरोना का नया स्ट्रेन तेजी के साथ फैल सकता है। दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग चिंता में आ गया है। विभाग ने लोगों को बेहद सतर्क रहने को कहा है। साथ ही बचाव के सभी साधनों को अपनाने की अपील की है।

सीएमओ डॉ. आरसी पांडेय ने बताया कि अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह स्ट्रेन तेजी के साथ फैल सकता है। यानि इसकी प्रसार शक्ति अधिक हो सकती है। एक संक्रमित अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह पहले से कितना अधिक शक्तिशाली है, इसका अध्ययन हो रहा है। लिहाजा अब पहले दौर से भी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपस में अधिक दूरी बनाने, सार्वजनिक वाहनों का सावधानी से उपयोग करना बेहद जरूरी है। किसी भी चीज को छूना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में सेनेटाइजर को साथ रखना ठीक रहेगा। विभाग अब स्क्रीनिंग, जांच और सतर्कता बढ़ा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर भी रेंडम सैंपलिंग की जाएगी।

ये मिले मरीज

दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन

- कमलानगर निवासी 26 साल की महिला संक्रमित मिली थीं।
- 12 साल का बालक, शाहगंज।
- 55 साल का बैंककर्मी, बोदला।

न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन

- 30 साल का युवक, निवासी ट्रांस यमुना कालोनी।

कैंट रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध यात्रियों की सैंपलिंग की जा रही है। • हिन्दुस्तान

पहचान

जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है रूप

किसी भी वायरस के संपूर्ण बायोडाटा को जीनोम सीक्वेंसिंग कह सकते हैं। उसके मौजूदा रूप और समूह की जानकारी इससे मिलती है। इंसानी कोशिकाओं के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। इन दोनों को मिलाकर जीनोम कहा जाता है। जबकि स्ट्रेन को जेनेटिक वैरिएंट कहते हैं। अलग-अलग वैरिएंट की क्षमता और रूप भी अलग होता है। इनके स्वभाव में भी परिवर्तन होता है।

प्रसार

देश में यूके, आगरा में अफ्रीकन स्ट्रेन

आगरा के तीन संक्रमितों में पाए गए दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन ने स्वास्थ्य विभाग को चौंका दिया है। देश भर में 800 से अधिक मामलों में सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम का स्ट्रेन पाया गया है। इनकी संख्या 750 से भी अधिक बताई गई है, जबकि यहां दक्षिण अफ्रीका का मिला है। यह यूके वाले से कितना खतरनाक है, फिलहाल कहना मुश्किल है। आईसीएमआर इसका अध्ययन करके नतीजे बताएगा।

परेशानी

जनवरी-फरवरी में पाए गए थे संक्रमित

जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 10 संक्रमित जनवरी से लेकर फरवरी तक वायरस की चपेट में आए थे। इनमें 18 से लेकर 60 साल तक के संक्रमितों को शामिल किया गया था। अच्छी बात यह है कि सभी संक्रमित ठीक होकर घरों पर जा चुके हैं। वे पूरी तरह ठीक हैं। हालांकि फिर भी एहतियात के तौर पर उनके संपर्क वाले सभी लोगों की केस हिस्ट्री बनाई जा रही है। उनकी कोविड जांच भी होगी।

आगरा में 18 नए संक्रमित केस मिले

आगरा। आगरा में शुक्रवार को कोरोना विस्फोट हो गया। 18 नए संक्रमित मिलने से प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के चालान काटने की भी तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 10644 हो गई है। जबकि 10386 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। शुक्रवार को अलकापुरी टैगोर नगर, दयालबाग, दयालनगर, एचआईजी फ्लैट संजय प्लेस, ईदगाह कुतलूपुर, पछाह शमसाबाद, बास शोभा एत्मादपुर, भदरौली, सिंगी गली, बासौनी, शाहगंज, कमला नगर, दरेसी क्षेत्रों में कोरोना के नए संक्रमित केस मिले।

कोरोना अपडेट

कुल मामले	मौतें	स्वस्थ	उपचाराधीन
10644	176	10386	82

614246 सैंपल लिए गए हैं अभी तक

मास्क लगाना और सेनेटाइजेशन बहुत जरूरी

एसएन मेडिकल कॉलेज की माइक्रो बायोलाजी लैब प्रभारी डॉ. आरती अग्रवाल का कहना है कि नए स्ट्रेन से क्या होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन संक्रमण तो बढ़ ही रहा है। लोगों को पहले से भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। मास्किंग, सेनेटाइजेशन और बार-बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। बच्चों और बड़ों को बहुत जरूरी होने पर ही बाहर भेजा जाए।

अलर्ट

मोहल्ला समितियों के जरिए किया जाएगा वायरस पर वार

आगरा | मुख्य संवाददाता

आगरा में अब मोहल्ला समितियों के माध्यम से कोरोना पर वार किया जाएगा। गांवों में ग्राम निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाएगा। कोरोना टास्क फोर्स ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हर समय कर्मचारियों की तैनाती रखने और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने की तैयारी की है।

कोरोना की दूसरी लहर अपना असर दिखाने लगी है। रोज संक्रमित केस बढ़ रहे हैं। अभी इनका असर शहर के इलाकों में देखा जा रहा है। लोगों में जागरूकता और सतर्कता कम हो जाने के कारण इस तरह की स्थितियां पैदा हो रहीं हैं। इसको लेकिर जिलाधिकारी ने मोहल्ला समितियां और ग्राम निगरानी समितियों के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया है। साथ ही इन समितियों के माध्यम से ही कोरोना का टीका लगवाए जाने की भी अपील की जाएगी। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने सभी कोरोना टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब से आने वाले लोगों पर खास नजर रखें। उनकी जांच भी कराएं और उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारंटाइन भी कराएं। उन्होंने कहा कि आम लोगों तक बात पहुंचाने के लिए आगरा में 43 उद्घोघोषणा प्रणाली लगी है। इस सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर भी 24 घंटे निगरानी रहेगी।

तैयारी

- मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र से आने वाले होंगे क्वारंटाइन
- ग्राम निगरानी समितियों को दी जाएगी जिम्मेदारी

"संक्रमण की दर कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कोरोना जांच ज्यादा से ज्यादा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों का यात्रा इतिहास भी पता किया जा रहा है, जिससे उनके संपर्क के लोगों की भी पहचान कर उनकी जांच कराई जा सके। कांटेक्ट टेस्टिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रभु एन सिंह, जिलाधिकारी

ताजनगरी में 40 डिग्री से होगा अप्रैल का आगाज

31 मार्च से 40 डिग्री या इससे अधिक हो सकता है दिन का पारा

आगरा। ताजनगरी में नए माह से भीषण गर्मी का आगाज होने वाला है। मार्च के अंत में ही तापमान तेजी से बढ़ सकता है। अप्रैल के पहले दिन यह 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। इससे मई और जून में गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से सिर्फ एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसे 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री नीचे चला गया। लिहाजा शाम को अधिक नमी महसूस की गई। निचला पारा 16.4 डिग्री रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 63 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मार्च तक आसमान साफ रहेगा। तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी।

स्थगित हुआ कैला देवी मेला

आगरा। राजस्थान में आठ अप्रैल से 24 अप्रैल की अवधि में लगने वाला श्री कैला देवी का चैत्र मेला स्थगित कर दिया गया है। श्री कैला देवी टैंपल ट्रस्ट के प्रबंधक महेश चंद शर्मा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है। करौली जिला प्रशासन ने जनपदीय सीमा में आने वाले कैला देवी मंदिर के परिसर में प्रस्तावित मेले को रोक दिया है। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश को देखते हुए पैदल यात्रा का प्रोग्राम स्थगित रखें।

कोरोना के खतरे के बीच भोपाल-बेंगलुरु फ्लाइट 28 से

आगरा | मुख्य संवाददाता

"28 मार्च से भोपाल और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट शुरू होने पर यात्रियों के स्वागत का कार्यक्रम होगा। ये फ्लाइट सप्ताह में चार दिन चलेगी। उसके अगले दिन 29 मार्च को आगरा से मुंबई और अहमदाबाद के लिए भी इंडिगो की ही हवाई सेवा शुरू होना प्रस्तावित है। ये सप्ताह में तीन दिन चलेगी। **एए अंसारी**, निदेशक एयरपोर्ट

कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस वजह से लोगों में एक बार फिर दहशत पैदा हो गई है। ऐसे में 28 मार्च से भोपाल और बेंग्लुरु के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। विमानन कंपनी ने बुकिंग भी शुरू कर दी है।

विमानन कंपनी इंडिगो ने सबसे पहले 28 मार्च को आगरा से भोपाल और आगरा से बेंग्लुरू के लिए फ्लाइट शुरू करने का निर्णय लिया है। ये फ्लाइट साप्ताह में चार दिन आएगी और जाएगी। इन शहरों के लिए सप्ताह में रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन तय किया गया है। अभी तक इन शहरों के लिए आगरा से हवाई सेवा नहीं रही है। एयरपोर्ट निदेशक एए अंसारी ने बताया कि फ्लाइट शुरू होने के दिन 28 मार्च को वृहद स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। फ्लाइट के आने-जाने को लेकर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। पहले दिन सभी यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। किसी विमानन कंपनी द्वारा तीसरी बार इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे पहले विमानन कंपनी एयर डेक्कन ने 2001 में आगरा से दिल्ली और उसके कुछ साल बाद एयर इंडिया ने खजुराहो से आगरा के लिए फ्लाइट शुरू होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। खजुराहो से आगरा फ्लाइट शुरू होने पर तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री चौधरी अजित सिंह खेरिया एयरपोर्ट आए थे।

Media Marketing Initiative

मात्र 500 रूपये लाईये नया ए.सी ले जाईये

भारत व्यवसाय व बजाज फाइनेंस द्वारा लोन कार्निवल ने मचाई धूम, ऑफर सीमित समय के लिए

ऑफर में पायें 20 साल की वारंटी व 5 साल की फ्री सर्विस

- आगरा में लगा महालोन मेला ए.सी. की खरीद पर
- मात्र 500 देकर ले जाईये नया ए.सी.
- कोई ब्याज नहीं

आगरा। अब ए.सी लेना हुआ और भी आसान, भारत व्यवसाय के संजय प्लेस व बोदला स्थित शोरूमों पर बजाज फाइनेंस के सहयोग से शानदार फाईनेंस कार्निवल चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत आपको अपने मनपसन्द विन्डो या स्पिलट ए.सी लाने के लिए एक साथ सारा पैसा देने की जरूरत नहीं है अभी दीजिए मात्र 500 रूपये और उत्पाद की बाकी कीमत का भुगतान कीजिए बराबर आसान किश्तों में। इस शानदार ऑफर के तहत आप पायेंगे सभी वर्ल्ड क्लास कंपनियों के ए.सी जैसे- पैनासोनिक, हायर, ब्लूस्टार, वोल्टास, हिटाची, ओजनरल, मित्सुबिशी हैवी, गोदरेज, आदि। इस स्कीम के दौरान बजाज फाइनेंस की पूरी टीम शोरूम पर मौजूद रहेगी जो कि आपकी फाइनेंस संबन्धित कार्यवाही को मात्र 5 मिनट में पूरा करायेगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें भारत व्यवसाय के संजय प्लेस शोरूम (8384858567) या सिकन्दरा बोदला रोड़ (मधुश्री प्लाजा, कारगिल पैट्रोल पम्प) शोरूम (7060047994) पर।

घर में हैंडपंप लगाने को लेनी होगी अनुमति

आगरा | वरिष्ठ संवाददाता

सूबे में अंधाधुंध हो रहे भूजल दोहन और साल दर साल गिरते भूजल स्तर को संभालने के लिए प्रदेश सरकार ने भूजल संरक्षण नीति लागू की है। इसके तहत अब कोई भी बोरिंग बिना अनुमति के नहीं होगी। इसके लिए स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं घर का हैंडपंप भी अब बिना अनुमति नहीं लगाया जा सकेगा। स्थानीय निकाय से अनुमति लेनी होगी।

नई भूजल नीति के तहत सिर्फ बोरिंग से पहले अनुमति लेनी होगी, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थदंड और कारावास का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम को अधिकार दिए हैं। साथ ही जिला भूजल प्रबंधन समिति और राज्य भूजल प्रबंधन समिति का भी गठन किया है। नियमों के मुताबिक घरेलू प्रयोग के भी लिए भी बोरिंग की जाएगी, तो संबंधित ग्राम पंचायत भूजल प्रबंधन सिमित, ब्लाक भूजल प्रबंधन समिति, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका या नगर निगम से इसका पंजीकरण करना होगा। संबंधित समिति को पंजीकरण शुल्क लेकर एनओसी देने का अधिकार है, लेकिन कृषि और घरेलू प्रयोग के लिए की जाने वाली बोरिंग पर पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा।

सख्ती

ड्रिलिंग एजेंसी का होगा पंजीकरण

आगरा जिले में 300-350 फुट तक गहराई में बोरिंग होती है। इसके लिए अब ड्रिलिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब ड्रिलिंग मशीन संचालकों का भी संबंधित स्थानीय निकाय में पंजीकरण होगा। उन्हें पंजीकरण के लिए करीब 5000 रुपये शुल्क अदा करना पड़ेगा। भूजल गुणवत्ता के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रिलिंग मशीन का पंजीकरण नहीं होगा। पंजीकरण तीन वर्ष के लिए होगा और जिला भूजल प्रबंधन समिति पंजीकरण करेगी।

सजा

अर्थदंड संग कारावास का प्रावधान

घरेलू बोरिंग के लिए पंजीकरण कराना होगा, लेकिन शुल्क देय नहीं होगा। कृषि के लिए बोरिंग का पंजीकरण भी निशुल्क होगा। नए व्यावसायिक, औद्योगिक, बल्क भूजल उपभोक्ता से 5000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करके कोई व्यवसायिक, औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर या बल्क भूजल प्रयोग के लिए बोरिंग करता है तो पहली बार में 2-5 लाख रुपये का जुर्माना अथवा छह माह से एक वर्ष तक कारावास हो सकता है। दूसरी बार में दंड दोगुना होगा।

कुश कुमार एडीजे, प्रशांत कुमार सीजेएम बने

आगरा | कार्यालय संवाददाता

हाईकोर्ट के निर्देश पर स्थानीय न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रशांत कुमार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

न्यायिक अधिकारी लोकेश नगर अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अब अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट, लघुवाद न्यायाधीश कुशकुमार अब अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट एक की अदालत में मुकदमे सुनेंगे। वहीं अपर पारिवारिक न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार में कार्य निपटा रहीं अनु सक्सेना अब अपर जिला जज कोर्ट संख्या सात, अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले सुन रहीं मिर्जा जीनत अपर जिला जज कोर्ट संख्या आठ, कनिष्क सिंह अपर जिला जज कोर्ट संख्या दस की अदालत के मामलों की सुनवाई करेंगे। सीजेएम की अदालत के मुकदमे सुन रहीं प्रीति सिंह अब लघुवाद न्यायाधीश की अदालत के मामलों की सुनवाई करेंगी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुन्दर पाल अब सिविल जज सीनियर डिवीजन होंगे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम योगेश कुमार यादव को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

ARYAVART BANK (A Joint Undertaking of Govt. of India, U.P. Govt. & Bank of India) **आर्यावर्त बैंक** (भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ इण्डिया का संयुक्त उपक्रम)

क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा 1, रघुनाथ नगर, सुरेश प्लाजा, एम. जी. रोड, आगरा-उ. प्र.

ई - नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनगठन एवं पतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक के अधीन अचल बंधक सम्पत्ति की बिक्री सूचना।

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) के सेक्शन 13(4) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा आर्यावर्त बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण निम्नलिखित बंधक सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया है। जन साधारण एवं विशेषतया ऋणीयों एवं उनके जमानतदारों को यह सूचित किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक के बकाया ऋण वसूलने के लिए निम्नलिखत बंधक सम्पत्तियों की ई-नीलामी "जो जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है" निम्नलिखत नियम एवं शर्तो के साथ की जा रही है।

ऋणी एवं गारंटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धनराशि / बोली बढ़ाने की राशि	माँग नोटिस की दिनांक / बकाया राशि
ऋणी-श्री प्रिंस अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, **निवासी**-21/166, धूलिया गंज आगरा, **गारंटर**-श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री भगवान अग्रवाल, **निवासी**-8/141, भैरो बाजार बेलन गंज, आगरा, श्री राजू अग्रवाल पुत्र रवि शंकर अग्रवाल, **निवासी**-सी-1, 1264 शास्त्रीपुरम, आगरा। **शाखा: सिविल लाइन, आगरा**	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड समाविष्ट एक अचल संपत्ति स्थित प्लॉट नं. ई डब्ल्यू एस ई-107, कालिंदी विहार योजना, मौजा नराइच, तह. एत्मादपुर, जिला आगरा, एरिया-27 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री प्रिंस कुमार पुत्र श्री राजेंद्र कुमार के नाम, चौहद्दी : पूर्व- ई डब्ल्यू एस प्लॉट नं. ई-108, पश्चिम- ई डब्ल्यू एस प्लॉट नं. ई-106, उत्तर- बी 1 टाइप प्लॉट, दक्षिण- 4.50 मी. चौड़ी रोड।	भौतिक कब्जा	2,59,000/- / 25,900/- / 10,000/-	11-05-17 / ₹ 10,03,427/- दि. 01.10.2016 से ब्याज एवं अन्य खर्चे
ऋणी-श्री निखिल बंसल पुत्र श्री अनिल बंसल, **निवासी**-37 एम आई जी, नेहरू एन्क्लेव शमशाबाद रोड, आगरा, श्रीमती सुचि बंसल पत्नी निखिल बंसल, **निवासी**- 37 एम आई जी, नेहरू एन्क्लेव शमशाबाद रोड, आगरा, **गारंटर**-श्री अनिल कुमार बंसल पुत्र श्री पी सी बंसल, **निवासी**- 37 एम आई जी, नेहरू एन्क्लेव शमशाबाद रोड, आगरा, श्री वरुण मिथलेश श्रीवास्तव पुत्र मिथलेश बहादुर श्रीवास्तव, **निवासी**- सी -634, आस्था सिटी, रुनकता, आगरा। **शाखा: सिविल लाइन, आगरा**	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड समाविष्ट एक अचल संपत्ति स्थित प्लॉट नं. ई-105, ब्लॉक ए, कालिंदी विहार योजना, मौजा नराइच, तह. एत्मादपुर, जिला आगरा, एरिया-30.98 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री निखिल बंसल पुत्र श्री अनिल बंसल के नाम, चौहद्दी : पूर्व- प्लॉट नं. ई-106, पश्चिम- प्लॉट नं. ई-104, उत्तर- बी 1 टाइप प्लॉट, दक्षिण- 4.50 मी. चौड़ी रोड।	भौतिक कब्जा	2,98,000/- / 29,800/- / 10,000/-	18-05-17 / ₹ 9,77,310/- दि. 01.07.2016 से ब्याज एवं अन्य खर्चे
ऋणी-श्री मंजीत पाल पुत्र श्री गिर्राज किशोर, **निवासी**-36/99, तेली पाड़ा, लोहामंडी, आगरा, **गारंटर**- श्री जमील कुरैशी पुत्र श्री रहीसुद्दीन, **निवासी**-05/93 ए, सोंठ की मंडी, आगरा, श्री राम कुमार गुप्ता पुत्र श्री चुन्नी लाल गुप्ता, **निवासी**-68, फेस-2, यमुना विहार, कमला नगर आगरा। **शाखा: सिविल लाइन, आगरा**	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड समाविष्ट एक अचल संपत्ति/एक मकान नगर निगम मकान नं. 6/645ए, खसरा नं. 748/1 के हिस्से में स्थित न्यू प्रकाश नगर, लोहामंडी वार्ड, तह. एवं जिला आगरा, एरिया-83.61 वर्ग मी., सपत्ति श्री मंजीत पाल पुत्र श्री गिर्राज किशोर के नाम, चौहद्दी : पूर्व- केला देवी का मकान अब यह वकील साहब का है, पश्चिम- लाला राम का स्कूल, उत्तर- 8 फीट चौड़ी रोड एवं निकास, दक्षिण- नीलू का मकान।	भौतिक कब्जा	5,73,000/- / 57,300/- / 10,000/-	31-07-18 / ₹ 11,37,709.83 दि. 01.07.2018 से ब्याज एवं अन्य खर्चे
ऋणी-श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री बाल किशन, **निवासी**-नई आबादी, बाबा अमर दास की बगीची, नराइच, आगरा, **गारंटर**- श्रीमती उषा पत्नी श्री कुंवर पाल, **निवासी**-इंद्र नगर, नराइच, आगरा, श्री रिंकू कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, **निवासी**-इंद्रा नगर, नराइच, आगरा। **शाखा: रामबाग, आगरा**	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड समाविष्ट एक अचल संपत्ति/प्लॉट खसरा नं. 1885 पर, स्थित आजाद नगर, जग जीवन नगर के पास, मौजा- नराइच, तह. एत्मादपुर, जिला आगरा, एरिया-83.61 वर्ग मी., सपत्ति श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री बाल किशन के नाम, चौहद्दी : पूर्व- 12 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम- राजेंद्र सिंह की खुली भूमि, उत्तर- मोती राम की खुली भूमि, दक्षिण- कुंवर पाल की खुली भूमि	भौतिक कब्जा	3,25,000/- / 32,500/- / 10,000/-	14-08-17 / ₹ 3,25,455/- दि. 01.07.2016 से ब्याज एवं अन्य खर्चे

ई-नीलामी की दि. : 30.04.2021, समय : प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक, बिड जमा करने की अन्तिम तिथि दि. 27.04.2021, सांय 04:00 बजे तक

ईएमडी जमा करने के लिए विवरण:- खाता सं. 11990EAUCTION01 ईएमडी के लिए खाता का नाम, शाखा आईएफएससी कोड - BKID0ARYAGB या किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, आर्यावर्त बैंक क्षेत्रिय कार्यालय, आगरा खाता (11990EAUCTION01) के पक्ष में निर्गत किया गया डिमांड ड्राफ्ट

ई- नीलामी की नियम एवं शर्ते निम्नलिखित है

1. ई- नीलामी "जो है जहां है, जो है जैसा है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर हमारे मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रक्योरमेंट टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के द्वारा संचालित की जायेगी। 2. सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया, आस्तियों का विवरण सम्बन्धी दस्तावेज, ऑनलाइन ई-ऑक्शन बिड फॉर्म, घोषणा एवं अंडरटेकिंग फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम एवं शर्ते वेबसाइट- https://sarfaesi.auctiontiger.net. पर उपलब्ध है। सम्पर्क- चिंतन भट्ट, मो. 9978591888, हेल्प लाइन नं. 9265562821/18 एवं 9374519754, 079-68136880/68136837/68136844, ई-मेल- support@auctiontiger.net & Chintan.bhatt@auctiontiger.net

दिनांक : 27.03.2021 स्थान- आगरा प्राधिकृत अधिकारी

नवीन अरोरा आईजी रेंज और मुनिराज बने एसएसपी

तबादला

आगरा | प्रमुख संवाददाता

पंचायत चुनाव की घोषणा से पूर्व शुक्रवार को आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई। नवीन अरोरा को आईजी रेंज आगरा और मुनिराज जी को एसएसपी आगरा बनाया गया है। आईजी से एडीजी बने ए सतीश गणेश को पुलिस आयुक्त वाराणसी बनाया गया है। वहीं बबलू कुमार को पुलिस अधीक्षक एटीएस लखनऊ बनाया गया है।

नवागत आईजी रेंज नवीन अरोरा के लिए आगरा कोई नया शहर नहीं है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी नवीन अरोरा मूलतः बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के निवासी हैं। आगरा में वह बतौर एसएसपी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में एक साथ दो बदमाशों का एनकाउंटर हुआ था। वहीं मुनिराज जी मूलतः तमिलनाडू के निवासी हैं। वर्ष 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नवीन अरोरा अभी संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ के पद पर तैनात थे। वहीं मुनिराज जी एसएसपी अलीगढ़ तैनात थे।

नवीन अरोरा आईजी रेंज आगरा बने।

नवागत एसएसपी मुनिराज जी।

सतीण गणेश ने कार्यप्रणाली से जनता का दिल जीता

आगरा। मंटोला बवाल के बाद दो जुलाई 2019 को ए सतीश गणेश को बतौर आईजी रेंज आगरा भेजा गया था। वर्ष 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी ए सतीश गणेश ने अपनी साफ सुथरी कार्यप्रणाली से जनता का दिल जीता। सच और झूठ का फैसला करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता था। रेंज में बड़ी से बड़ी वारदात होने पर भी वह विचलित नहीं होते थे। उनकी त्वरित निर्णय की क्षमता के चलते कई बार बेगुनाह जेल जाने से बचे। फिरोजाबाद में सीएए के बवाल के समय आईजी रेंज ए सतीश गणेश ने ही मोर्चा संभाला था। कई दिन तक उन्होंने फिरोजाबाद में ही कैंप किया था। गैंगरेप के एक मामले का चंद घंटे में पटाक्षेप किया था। दो बेगुनाह जेल जाने से बचे थे। आगरा और फिरोजाबाद के बीच यह मामला उलझा हुआ था।

अधीनस्थों को प्रशस्तिपत्र देते

अच्छे काम पर अधीनस्थों को प्रशस्ति पत्र और खराब काम पर कार्रवाई करने में ए सतीश गणेश कभी नहीं चूकते थे। पीड़ित एक बार प्रार्थना पत्र लेकर जाता था तो वह नतीजा न आने तक उस मामले का पीछा किया करते थे। कहीं सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित आखिरी उम्मीद लेकर उनके कार्यालय जाया करते थे। रेंज के जिलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में उनका कोई जोड़ नहीं था।

बबलू कुमार के किसी खुलासे पर कभी नहीं उठा सवाल

आगरा। यमुना में तिहरा हत्याकांड हो या रोहता सदर में बैंक डकैती। शमसाबाद में सराफा दंपति की हत्या हो या एसएन मेडिकल कॉलेज की पीजी छात्रा की हत्या। एसएसपी बबलू कुमार के कार्यकाल में आगरा पुलिस को नई पहचान मिली। जनता ने भी यह माना कि घटना हुई तो खुलेगी जरूर। खास बात यह है कि पुलिस ने जिस भी वारदात का खुलासा किया उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। पुलिस ने पहले साक्ष्य जुटाए उसके बाद बदमाशों को पकड़ा। मंटोला में बवाल के बाद दो जुलाई 2019 को बबलू कुमार को एसएसपी आगरा बनाया गया था। शांत और गंभीर रहने वाले बबलू कुमार ने अपनी कार्यप्रणाली से ताजनगरी में अपराध की रफ्तार पर लगाम लगा दी।

हर वारदात का खुलासा

जुलाई 2019 से जनवरी 2021 के बीच कोई ऐसी वारदात नहीं है जिसका खुलासा नहीं हुआ हो। हर बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक विवाद में उनकी प्लानिंग की सीनियर अधिकारी भी तरीफ करते थे। किसान आंदोलन में उन्होंने आगरा में एक भी दिन हंगामा नहीं होने दिया।

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.
"The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) Noida and Ghaziabad BRANCH	Description of secured asset (immovable property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mr. Krishan Lal Gupta and Mr.Bishan Lal Gupta, Mr Deepak Gupta, Mr Rajesh Kumar Gupta, Mrs Kamla Rani, Shri Ram Educational Trust **(Prospect No. 720817, 720807, 841426, 841428, 847832,851108)**	All that peice and parcel of Property No. 08, area measuring 395.40 sq tr, Block No. D, Sector 55, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh All that piece and parcel of Plot no. 09, Block D, Sec55, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh All that piece and parcel of Plot no. 10 area measuring 395.40 sq mtr Block D, Sec 55, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh	**Prospect No. 720817** Rs. 1,77,22,820.00/- **Prospect No. 841428** Rs. 73,99,213/- **Prospect No. 720807** Rs. 1,53,66,453/- **Prospect No. 841426** Rs. 68,58,557/- **Prospect No. 847832** Rs. 56,57,379/ **Prospect No. 851108** Rs. 61,01,821/-	11-Dec-20	22-Mar-21
Mukesh Jaiswal, Puja Jaiswal **(Prospect No. 793175 & 837328)**	All that peice and parcel of 1) Flat No.FF-3, First Floor without roof rights, Front side RHS, L.I.G, Residential Plot No.C1/17, DLF Ankur Vihar, Village Sadullahbad, Pargana Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh.	**Prospect No. 793175** Rs. 13,71,873/- **Prospect No. 837328** Rs. 12,45,315/-	22-Apr-19	22-Mar-21

For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 and Office no.- 1, First Floor, Mahalaxmi Metro Tower, Plot No. -C-1, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010. /or Corporate Office : Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.

Place: Noida and Ghaziabad Dated: 27/03/2021 **Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India undertaking
आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

Stressed Asset Management Vertical
M-93, Connaught Circus,
New Delhi-110001
Ph.: No.: +91-11-23418721

CORRIGENDUM

This is in reference to the possession notice published in this newspaper on **19.03.2021** for the A/c of borrower/guarantors/mortgagor **M/s CBS Steels Pvt Ltd (Now M/s JSD Steels Pvt Ltd), Sh. Yashpal Singla, Sh. Pardeep Singla, Sh. Vikash Singla, Sh. Tejender Setia, Sh. Jugal Kishore, Smt. Bhawna Singla, Yashpal Singla & Sons (HUF), Pardeep Singla & Sons (HUF), M/s CMD Buildtech Pvt Ltd & M.S ACE Utility Pvt. Ltd.,** the said Possession Notice was issued on 17-03-2021 U/s 13(4) of SARFAESI Act, coupled with possession notice published in Business Standard (Delhi NCR edition, English and Hindi) on 19-03-2021 for the properties identified, as mentioned below:-

All that part and parcel of the Residential Vacant land at Sushant City, duly approved by Haryana Town and Country Planning Dept., Yamunanagar, Haryana at Village Ratauli, H B No 422, Tehsil Jagadhri, District Yamuna Nagar, Haryana. Area of 65K-15M vide sale deed no 3593 dated 31.07.06 [Khasara No, 8/22/1/2 (2-11), 26 (0-10), 11/2/1 (6/13), 2/2/1 (0-18), 10/25/2(7-6), 11/9/1/1 (3-16), 11/1/2 (6-12), 12-1 (2-11), 21 (8-0), 23/1 (8-0), 10/1/2 (7-11)] and 9K-6M vide sale deed 3946 dt 25.08.06 [Khasara No. 24/4/2(8-0), 11/10/1/2 (7-11), 11/2/2/2(0-9), 9/1/2(0-4), 9/2/2(0-4)] admeasuring around 34053 sq yards (Saleable Area out of total 45405 sq yards)

are hereby recalled without prejudice to our rights to issue fresh Possession Notice/ issue newspaper publications, in accordance with the provisions of the SARFAESI Act 2002.

Date : 26-03-2021, Place : New Delhi **Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA**

LOST & FOUND

I, Rashmi Singh W/o Late Tripurari Kashyap and D/o Late K. N . Singh, R/o B-119/3, Munirika Village, New Delhi. I have lost my CISCE, New Delhi 12th Board Pass Certificate- 2000, School Name is St. Joseph's Convent High School, Patna and my date of birth is 24.07.1983. If found, please contact above mentioned address.

---

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

CIRCLE SASTRA SOUTH DELHI, Upper Ground, 7, Bhikaji Cama Place New Delhi-110066,

CORRIGENDUM

This is in reference to the advertisement published in this newspaper on 27.02.2021 for e Auction Sale Notice in which the property of **M/s Vishal Anand (S.No. 2) of GK II Branch** was put for e-auction to be held on 30.03.2021. **We are withdrawing account from the e-auction.**

Authorized Officer,
Punjab National Bank

AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. and Corporate Office address: Fulcrum Business Centre, 001 & 002, A Wing, Next to Hyatt Regency Hotel, Sahar Road Andheri (East), Mumbai- 400 099 Maharashtra.

AVANSE FINANCIAL SERVICES

APPENDIX-IV [rules 8(1)]
POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property)

Whereas,
The undersigned being the Authorised Officer of the **Avanse Financial Services Ltd.,** Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 **("Said Act")** and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("said Rules") issued a **Demand Notice dated 31st December 2020** in Loan Accounts bearing numbers DEL/001839 and DELMB00010660 **("Loan Account")** respectively calling upon the **Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors** being, **1. Mr. Harsh Vijay Gupta 2. M/s Sonu Creations (Through Its Proprietor) 3. Ms. Sonu Gupta 4. Mr. Vijay Gupta 5. Piyush Jain & 5. Rachana Jain** (Collectively to be referred to as **"Borrowers")** to repay the amount mentioned in the aforesaid demand notice outstanding as on **18th December, 2020** inclusive of interest charged up to **18th December, 2020** and further interest thereon together with incidental expenses, cost, charges etc., till the date of final payment and/or realization within 60 days from the date of receipt of the said notice (details also described in the table given below):-

Borrowers/ Co-Borrowers/Mortgagors	Loan Account Number	Amount Outstanding as on 18th December, 2020
(1) Mr. Harsh Vijay Gupta **(2) M/s Sonu Creations** (Through Its Proprietor) **(3) Ms. Sonu Gupta (4) Mr. Vijay Gupta** **(5) Piyush Jain &, (6) Ms. Rachna Jain**	DEL/001839 and DELMB 00010660	**Rs. 61,12,887/-** (Rs. Sixty One Lakh Twelve Thousand Eight Hundred Eighty Seven Only)

The aforesaid Borrowers having failed to repay the aforesaid amounts, notice is hereby given to the Borrowers/Co-borrowers/Guarantors/Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken Possession of the Immovable property described in the Schedule herein **("Immovable Property")** in exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said rules on this **24th Day of March the year 2021.**
The Borrowers/Co-borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Property and any dealings with the Immovable Property will be subject to the charge of the Avanse Financial Services Ltd., for an aggregate amount of Rs. 61,12,887/- (Rupees Sixty One Lakhs Twelve Thousand Eight Hundred Eighty Seven Only) as on 18th December 2020 inclusive of interest charged up to 18th December 2020 and further interest thereon till the date of final payment and/or realization in aforesaid Loan Account.
The 'Borrowers'/Co-borrowers'/Guarantors'/Mortgagors' attention is invited to the provisions of Section 13(8) of the Said Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Entire built up Second floor, up to the extent of ceiling level, measuring area 110 Sq. Yards (approx), with half front side roof of Second floor i.e. 45.09 Sq. Mtr. with the rights of upper construction up to the last storey, a part of the Property No. F-166-167, out of Khasra No. 52/21, situated at the Abadi of F Block, Laxmi Nagar, in the area of village Khureji Khas, Illaqa Shahdara, Delhi-110092 and **Bounded as under:** East : Road, West : Road, North : Remaining Portion of the property No. F / 166-167, South : Plot / Prop. No. F - 165

Date: 24th March-2021
Place: Delhi

Sd/-
Authorised Officer
For Avanse Financial Services Ltd.

Himachal Pradesh Public Works Department

HIMACHAL PRADESH P W D

NO.PW-KD/E-Tender/2020-21- 6129-31 Dated:- 25-03-2021

NOTICE INVITING TENDERS.

Sealed item rate tenders on form No. 6&8 are invited by the Executive Engineer, Kotkhai Division, HPPWD: Kotkhai for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HP:PWD, so as to reach in his office on or before 22-04-2021 upto 10:30 A.M. and will be opened on the same day at 11:00 A.M. in the presence of the intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be had from his office against cash payment (Non-refundable upto 4:00 P.M. on 20-04-2021). The earnest money in the shape of National Saving Certificate / Time deposit account / saving bank account / FDR in any of the Post Office in Himachal Pradesh duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tenders. Conditional tenders or tender received without earnest money will summarily be rejected. The XEN reserved the right to accept or reject any or all tenders or to drop the proposal of the tenders without assigning any reasons. The officer of the tenders shall be kept open for 120 days. All the contractors will have to bring with them the attested copy of registration / renewal of their enlistment failing which their application shall not be entertained. The contractor must be registered under H.P. General Sales Tax Act 1968 and its proof must be submitted with application for tender, failing which tender will not be issued. If any date mentioned above happens to be a holiday, the same will be processed on the next day. The Firms / Contractors must quote the rate of each item in words as well as in figures, failing which their tenders are likely to be rejected.

Sr. No	Name of Work	Estimated Cost	EMD	Cost of Tender	Time	Eligible class of Contractor
1.	R/R damages on Nohra Chouri Bhagal Road in K.M. 0/00 to 14/00 (SH:- C/o R/Wall Between R.D. 1/652 to 1/667)	Rs. 3,43,796/-	Rs. 6,900/-	Rs. 350/-	Two	Class D
2	C/o Reoghati to Galeha via Kuferbag-Bagain Jubbad-Shaktinagar road in K.M. 0/00 to 11/500 (SH:- Preparation of subgrade and providing and laying kharanja stone soling at various RD's between in K.M. 3/00 to 4/500, 4/500 to 6/00 and 6/00 to 8/00)	Rs. 2,34,244/-	Rs. 4,700/-	Rs. 350/-	Two	Class D
3.	R/R Damages on Gumma Pujali Road in k.M. 0/00 to 28/545 (SH:- C/o Breast wall at R.D. 20/480 to 20/492)	Rs. 1,51,926/-	Rs. 3,100/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
4.	R/R Damages on Melath Chamera Road in K.M. 0/00 to 4/500 (SH:- C/o R/Wall at R.d. 2/100 to 2/112, 2/909 to 2/922.80, 1/349 to 1/355.50 and 1/508 to 1/514.9)	Rs. 4,11,760/-	Rs. 8,300/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
5.	Repair and Maintenance of PWD Rest House Baghi in Tehsil Kotkhai (SH:- Providing flooring, ceiling, painting, plastering, distempering etc.)	Rs. 4,84,154/-	Rs. 9,700/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
6.	R/R damages on Narkanda Sidhpur Baghi road in K.M. 5/00 to 19/00 (SH:- C/o R/Wall in R.D. 5/045 to 5/062)	Rs. 2,73,977/-	Rs. 5,500/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
7.	R/R damages on Narkanda Sidhpur Baghi road in K.M. 5/00 to 19/00 (SH:- C/o R/Wall in R.D. 7/300 to 7/315)	Rs. 2,86,794/-	Rs. 5,800/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
8.	C/o Bakhrala Kaul via Bashnal in K.M. 0/00 to 2/00 (SH:- C/o R/Wall at R.D. 0/625 to 0/635, 1/315 to 1/325, 0/755 to 0/762 and 1/00 to 1/020 B/Wall at R.D. 0/660 to 0/670 and 0/805 to 0/815)	Rs. 4,95,243/-	Rs. 10,000/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
9.	R/R damages on Gumma Pujali Road in K.M. 0/00 to 28/545 (SH:- C/o B/Wall at R.D. 24/300 to 24/315)	Rs. 1,90,542/-	Rs. 3,900/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
10.	R/R damages on Kalbog to Chuila Road in K.M. 0/00 to 6/500 (SH:- C/o R/Wall at R.D. 2/870 to 2/882)	Rs. 1,67,498/-	Rs. 3,400/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
11.	R/R damages on Ramnagar, Thana, Mihani, Adyog, Road in K.M. 0/00 to 8/500 (SH:- C/o R/Wall at R.D. 2/900 to 2/910)	Rs. 4,76,574/- 1,67,498/-	Rs. 9,600/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
12.	Improvement of Kulla Jubbar to Shivpuri via Azadpur road in K.M. 0/00 to 6/500 (SH:- C/o B/Wall at R.D. 1/336 to 1/344, 1/437 to 1/453, 1/480 to 1/497 and 6/425 to 6/442)	Rs. 3,42,583/-	Rs. 6,900/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
13.	R/R damages on Bagheri to thana road in K.M. 0/00 to 3/280 (SH:- C/o R/Wall at R.D. 3/096 to 3/107)	Rs. 1,80,036/-	Rs. 3,700/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
14.	R/R damages on Gumma Pujali Baghi Road in K.M. 0/00 to 28/545 (SH:- C/o R/Wall at R.d. 4/075 to 4/087 and 4/125 to 4/131.3)	Rs. 3,90,014/-	Rs. 7900/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
15.	R/R damages on Melath Quinal Road in K.M. 0/00 to 11/500 (SH:- C/o R/Wall at R.D. 4/780 to 4/796)	Rs. 2,63,130/-	Rs. 5,300/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
16.	R/R damages on Kulla Jubbar to Shivpuri via Azadpur Road in K.M. 0/00 to 6/00 (SH:- C/o R/Wall at R.D. 1/418 to 1/435)	Rs. 2,86,169/-	Rs. 5,800/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
17.	Improvement of Kiari Bareon Bahlidhar Road in k.m. 0/00 to 4/415 (SH:- C/o ,B/Wall at R.D. 0/405 to 0/430)	Rs. 2,63,879/-	Rs. 5,300/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
18.	Improvement of Tharolla Balog Pajahi Road in K.M. 0/00 to 4/500 (SH:- F/C in 5/7 mtr. wide road in K.M. 1/540 to 2/330)	Rs. 4,29,667/-	Rs. 8,600/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
19.	Improvement of Kuri Kharyana Halai Road in K.M. 0/00 to 5/500 (SH:- C/o 900 mm dia Hume Pipe Culvert with wing wall at R.D. 1/190, 1/825, 2/315, 4/540 and 4/975)	Rs. 4,09,056/-	Rs. 8,200/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D
20.	Improvement of link road Harijan Basti Lohat in K.M. 0/00 to 1/00 (SH:- C/o R/Wall in wire crate at R.D. 0/069 to 0/090)	Rs. 1,88,067/-	Rs. 3,800/-	Rs. 350/-	Two Month	Class D

s/d
Executive Engineer,
(B&R) Division, HPPWD, Kotkhai

6797/2020-2021

ARYAVART BANK आर्यावर्त बैंक

(A Joint Undertaking of Govt. of India, U.P. Govt. & Bank of India)
(भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ इण्डिया का संयुक्त उपक्रम)

Regional Office, Agra 1, Raghunath Nagar, Suresh Plaza, M.G. Road, Agra-UP

E – Auction Sale Notice

SALE OF IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

The Understand as Authorized Officer of Aryavart Bank has taken over possession of the following Properties u/s 13(4) of the SARFESI Act. Public at large and specially borrower and their guarantor are informed that e-auction (under SERFESI act, 2002) of the charged properties in the below mentioned cases for realisation of Bank's due will be held "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" on the terms and conditions specified hereunder.

Name & Address of Borrower(s)/ Guarantor(s)	Description of Properties	Type of Possession	Reserve Price / Earnest Money / Increment Bid	Date of Demand / Claim Amount as per Demand Notice
Borrower- Shri Prince Agarwal S/o Mr. Rajendra Kumar Agarwal, **R/o-**21/166, Dhulia Ganj Agra, **Guarantor-**Mr. Pradeep Kumar Agarwal S/o Mr. Bhagwan Agarwal, **R/o-**8/141, Bhairo Bazar Belan Ganj, Agra, Mr. Raju Agarwal S/o Ravi Shankar Agarwal, **R/o-** C-1, 1264 Shashtripuram, Agra **Branch: Civil Lines, Agra**	All that part & Parcel of the Property consisting of an Immovable Property Situated at Plot No. EWS E-107, Kalindi Vihar Yojna, Mauza- Naraich, Teh.- Etmadpur, Distt. Agra, Area-27 Sq. Mtrs., Property in the name of Mr. Prince Kumar S/o Mr. Rajendra Kumar, Bounded as : East- EWS Plot No. E-108, West- EWS Plot No. E-106, North- B1 Type Plot, South- 4.50 Mtr. wide Road.	Physical Possession	2,59,000/- 25,900/- 10,000/-	11-05-17 ₹ 10,03,427/- + Intt. & other charges from Dt- 01-10-2016
Borrower- Mr. Nikhil Bansal S/o Mr. Anil Bansal, **R/o-** 37 MIG, Nehru Enclave Shamshabad Road, Agra, Smt. Suchi Bansal W/o Nikhil Bansal, **R/o-** 37 MIG, Nehru Enclave Shamshabad Road, Agra, **Guarantor-** Mr. Anil Kumar Bansal S/o Mr. P C Bansal, **R/o-** 37 MIG, Nehru Enclave Shamshabad Road, Agra, Mr. Varun Mithlesh Srivastav S/o Mithlesh Bahadur Srivastav, **R/o-** C-634, Astha City, Runakta, Agra. **Branch: Civil Lines, Agra**	All that part & Parcel of the Property consisting of an Immovable Property Situated at Plot No. E-105, Block A, Kalindi Vihar Yojna, Mauza- Naraich, Teh.- Etmadpur, Distt. Agra, Area-30.98 Sq. Mtrs., Property in the name of Mr. Nikhil Bansal S/o Mr. Anil Bansal, Bounded as : East- Plot No. E-106, West- Plot No. E-104, North- B1 Type Plot, South- 4.50 Mtr. wide Road.	Physical Possession	2,98,000/- 29,800/- 10,000/-	18-05-17 ₹ 9,77,310/- + Intt. & other charges from Dt- 01-07-2016
Borrower- Mr. Manjeet Pal S/o Mr. Girraj Kishor, **R/o-** 36/99, Teli Pada, Lohamandi, Agra, **Guarantor-** Mr. Jameel Qureshi S/o Shri Rahisuddin, **R/o-** 05/93 A, Sonth Ki Mandi, Agra, Mr. Ram Kumar Gupta S/o Mr. Chunni Lal Gupta, **R/o-**68, Face-2, Yamuna Vihar, Kamla Nagar Agra. **Branch: Civil Lines, Agra**	All that part & Parcel of the Property consisting of an Immovable Property/one House Nagar Nigam House No. 6/645A, in the portion of Khasra No. 748/1 Situated at New Prakash Nagar, Loha Mandi Ward, Teh. & Distt. Agra, Area-83.61 Sq. Mtrs., Property in the name of Manjeet Pal S/o Mr. Girraj Kishor, Bounded as : East- House of Kela Devi Now it is of Vakil Sahab, West- School of Lala Ram, North- 8 ft. wide Road & Exit, South- House of Neelu.	Physical Possession	5,73,000/- 57,300/- 10,000/-	31-07-18 ₹ 11,37,709.83 + Intt. & other charges from Dt- 01-07-2018
Borrower- Smt. Sunita Devi W/o Mr. Bal Kishan, **R/o-** Nai Abadi, Baba Amar Das Ki Bagichi, Naraich, Agra, **Guarantor-** Smt. Usha W/o Mr. Kunwar Pal, **R/o-** Indra Nagar, Naraich, Agra, Mr. Rinku Kumar S/o Shri Ashok Kumar, **R/o-** Indra Nagar, Naraich, Agra. **Branch: Rambagh, Agra**	All that part & Parcel of the Property consisting of Immovable Property/Plot on Khasra No. 1885, Situated at Azad Nagar, Near Jag Jivan Nagar, Mauza- Naraich, Teh. Etmadpur, Distt. Agra, Area-83.61 Sq. Mtrs.,Property in the name of Smt. Sunita Devi W/o Mr. Bal Kishan, Bounded as : East- 12 ft. wide Road, West- Open Land Rajendra Singh, North- Open Land Moti Ram, South- Open Land Kunwar Pal.	Physical Possession	3,25,000/- 32,500/- 10,000/-	14-08-17 ₹ 3,25,455/- + Intt. & other charges from Dt- 01-07-2016

Date of E-Auction : 30-04-2021, Timing : 11:00 to 01:00 & Last Date of Submission of Bid : 27.04.2021 upto 04.00 PM

EMD Submisson Detail: Account No: 11990EAUCTION01 Account Name- earnest Money Deposite, Branch IFSC Code: BKID0ARYAGB or by way of Demand draft drawn in favour of Regional Manager, Aryavart Bank, Regional Office, Agra A/c 11990EAUCTION01, drawn on any Nationalized or Scheduled Bank.

Terms and Condition of the E-auction are as under

1. E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/s e-procurement Technologies Limited (auction Tiger). 2. The Complete E- Section process documents containing details of the Assets, online e-auction Bid Form Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://sarfaesi.auctiontiger.net. Contact Person: CHINTAN BHATT (M) 9978591888, Helpline No. 9265562821/18 & 9374519754, 079 - 68136880/ 68136837/68136844 Email: support@auctiontiger.net & Chintan.bhatt@auctiontiger.net

Dt. 27-03-2021 **Place: Agra** **Authorised Officer**